



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 26.03.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.3.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 208/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पत्नि की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त हेतराम पुत्र मुंशीलाल को हिण्डन नदी पुल के नीचे चार मूर्ति के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामदा

घटना का विवरण-- दिनांक 25.3.2025 को पीडिता/वादिया अपने भाई के पास पुराना हैबतपुर में मिलने जा रही थी तभी उसके पति/अभियुक्त हेतराम द्वारा अपनी पत्नी पिकी को अपने साथ चलने के लिए कहा गया तो पिकी ने साथ चलने के लिए मना कर दिया जिस पर अभियुक्त के द्वारा अपने पास लिए तमंचे से पिकी को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी जो पिकी उम्र 36 वर्ष के हाथ में लगी।

अभियुक्त का विवरण--

हेतराम पुत्र मुशी लाल निवासी ग्राम बडागांव जिला कांसगज वर्तमान पता तिगरी थाना बिसरख

बरामदगी का विवरण --

01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामदा

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 208/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

2. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 108 पक्वे अवैध शराब बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **26.03.2025** को थाना **सेक्टर-63**, पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये शराब तस्कर अभियुक्त रतन कुमार पुत्र छोटेलाल को बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 108 पक्वे शराब बरामद।

अभियुक्त का विवरण-- रतन कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मझौली थाना बेढन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश (उम्र 25 वर्ष)

बरामदगी का विवरण-- 108 पक्वे मिस इंडिया मार्का देशी शराब

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-63

3. नोएडा थाना सेक्टर-20 पुलिस पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **26.03.2025** को थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाला 01 अभि0 साहिद पुत्र हफीज को मल्टीलेवल कार पार्किंग सेक्टर-18 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- साहिद पुत्र हफीज निवासी नियर परशुराम मन्दिर रुपनगर प्रशान्त विहार लोनी गाजियाबाद ,मूल पता निरोजपुर बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 94/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास-- मु0अ0सं0 936/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-- 02 किलो 140 ग्राम गांजा (अवैध) बरामद